

883  
2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई0एल0आर0

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई जिसके अनुसार राजू उषा द्वारा 2015-18 के खाता नं- 866 में पार्सी की जांच के नाम राजू उषा के नाम पर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राजू उषा के नाम पर 2015-18 के खाता नं- 866 में पार्सी की जांच के नाम राजू उषा के नाम पर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राजू उषा के नाम पर 2015-18 के खाता नं- 866 में पार्सी की जांच के नाम राजू उषा के नाम पर किया गया है।

दिनांक 4/10/2021  
कामांक - राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाय उचित है उचित नहीं है। अविशेष का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है।

श्रीमती  
संरक्षण  
ग्राम पंचायत टोडी

तहसीलदार  
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

उपखण्ड अधिकारी (एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुंयुक्त (राज-)

आदेश :-

दिनांक :- 21-10-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दराभद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गुढागौड़जी	2075-2078	866	राजू उषा पार्सी	राजू उषा पार्सी

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

248  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 21-10-2021

क्रमांक :- राजस्व/2020/271-222  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

248  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी